10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE ५ रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10

-1- C.C.B.-154 116

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील क्रं. A 1383-I/99

1. बाबूलाल आत्मज श्री रघुवीर सिंह
2. बालमुकुन्द पुत्र श्री गनपत सिंह
3. रघुनाथ सिंह पुत्र श्री गनपत सिंह
4. भुजबल सिंह पुत्र श्री गनपत सिंह

निवासी ग्राम करारखेड़ी तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

..~~आवेदकगण~~ अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. हल्केभाई उर्फ बाबूलाल पुत्र नत्थूसिंह
2. बालमुकुन्द पुत्र नत्थूसिंह
3. रघुवीर सिंह
4. जगतन्त सिंह
5. कमल सिंह
6. महेन्द्र सिंह — पुत्रगण अमोल सिंह
7. लाखन सिंह
8. राम सिंह
9. प्रेमबाई बेवा अमोलसिंह निवासीगण ग्राम करारखेड़ी तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

..~~अनावेदकगण~~ प्रत्यर्थीगण

क्रमांक ....
श्री आर.डी. शर्मा 17.8.99
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत
17-8-99
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

17-8-99
(आर.डी. शर्मा)

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा अपील क्रमांक 148/अ/97-98 में पारित आदेश दिनांक 12.7.99 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44-2 के अधीन द्वितीय अपील -

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1383-एक/1999 अपील जिला विदिशा

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-7-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 148/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-7-99 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत हुई है, जिसका पूर्व में निराकरण तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 1383-एक/1999 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-6-2002 से करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर दिये थे तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि प्रकरण में स्थल निरीक्षण किया जावे , उसके उपरांत उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण में विधिवत् निर्णय लिया जावे तथा अपीलार्थीगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के रकबे में कमी नहीं आये। इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 2012/2002 में हुये आदेश दिनांक 31-8-06 से निरस्त कर दिया गया तथा राजस्व मण्डल को पुनः सुनवाई करने के आदेश दिये गये है। 2/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करते हुये आवेदकगण को बार-बार सूचना पत्र जारी किये गये, किन्तु उनके अनुपस्थित रहने पर	

अंतरिम आदेश दिनांक 15-9-15 से एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये।

3/ प्रकरण के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि अनावेदकगण ने कलेक्टर विदिशा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंर्तगत आवेदन देकर नक्शा सॅशोधन की मॉग करते हुये बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 57 रकबा 3.909 हैक्टर एंव 53 रकबा 0.533 हैक्टर के सीमांकन कराने पर संबत 2006 के पुराने नक्शा एंव नये नक्शा में आराजियों का मिलान करने पर काफी अन्तर आया है इसलिये सुधार किया जाय। कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 7 अ-5/92-93 दर्ज कर अधीक्षक भू अभिलेख से भूमियों की तस्तीक कराते हुये एंव पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 19-12-97 पारित किया तथा निम्नानुसार निर्णीत किया :-

"ग्राम कराखेड़ी की भूमि कमांक 53 जिसका साविक नंबर 104 है, इसके रकबे में कोई भिन्नता नहीं है। आ.क. 57 साविक नंबर 104 है, आराजी क. 58 जिसका साविक नंबर 110,111, आ.क. 59 साविक नंबर 109, आ.क. 60 जिसका साविक नंबर 109 है, की सीमाओं में 20 कड़ी का अन्तर है। ऐसी स्थितिमें मूल नक्शा बंदोवस्त 2006 के अनुसार पटवारी नक्शे में सुधार किया जावे।"

कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, भोपाल/होशंगावाद संभाग के समक्ष होने पर प्रकरण कमांक 148/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-7-99 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वित्तीय अपील होने पर प्रकरण कमांक 1383 - एक /1999 अपील में पारित आदेश

अंतरिम आदेश दिनांक 15-9-15 से एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये।

3/ प्रकरण के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि अनावेदकगण ने कलेक्टर विदिशा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंर्तगत आवेदन देकर नक्शा सॅशोधन की मॉग करते हुये बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 57 रकबा 3.909 हैक्टर एंव 53 रकबा 0.533 हैक्टर के सीमांकन कराने पर संबत 2006 के पुराने नक्शा एंव नये नक्शा में आराजियों का मिलान करने पर काफी अन्तर आया है इसलिये सुधार किया जाय। कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 7 अ-5/92-93 दर्ज कर अधीक्षक भू अभिलेख से भूमियों की तस्तीक कराते हुये एंव पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 19-12-97 पारित किया तथा निम्नानुसार निर्णीत किया :-

"ग्राम कराखेड़ी की भूमि कमांक 53 जिसका साविक नंबर 104 है, इसके रकबे में कोई भिन्नता नहीं है। आ.क. 57 साविक नंबर 104 है, आराजी क. 58 जिसका साविक नंबर 110,111, आ.क. 59 साविक नंबर 109, आ.क. 60 जिसका साविक नंबर 109 है, की सीमाओं में 20 कड़ी का अन्तर है। ऐसी स्थितिमें मूल नक्शा बंदोवस्त 2006 के अनुसार पटवारी नक्शे में सुधार किया जावे।"

कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, भोपाल/होशंगावाद संभाग के समक्ष होने पर प्रकरण कमांक 148/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-7-99 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वित्तीय अपील होने पर प्रकरण कमांक 1383 - एक /1999 अपील में पारित आदेश

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1383–एक/1999 अपील जिला विदिशा

स्थल तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

दिनांक 5–6–2002 से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर दिये गए तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित यिा गया कि प्रकरण में स्थल निरीक्षण किया जावे , उसके उपरांत उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण का विधिवत् निर्णय किया जावे ।

अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुक्रम में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 5–6–02 के पद 5 में विवेचना की है कि कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुये पंचनामा दिनांक 28–5–1995 में दोनों शीटों के मार्जिन न मिलने का अंकन है परन्तु अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा प्रस्तुत स्थल अनुसार जॉच प्रतिवेदन दिनांक 11.6.96 में दोनों शीटों के मार्जिन क्यों नहीं मिलते है एंव सुधार की गुॅजायश क्या है , कोई उल्लेख नहीं है। कलेक्टर ने भी आदेश दिनांक 19.12.97 में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है अपितु 20 कड़ी का अंतर किस प्रकार आ रहा है विवेचना कर आदेश में उल्लेख नहीं किया है और जब तक अन्तर किन कारणों पर आधारित है – पूर्ण जॉच कर इस बिन्दु का समाधान नहीं निकाला जाता है – कलेक्टर व्दारा की गई कार्यवाही अपूर्ण है जिसके आधार पर नक्शे

अपी.-1383-II/99 (विदिशा)

में 20 कड़ी की घट-बड़ कर देना तर्क संगत नहीं है इन्हीं तथ्यों पर अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 148/97-98 अपील में आदेश दि. 12-7-99 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण कलेक्टर विदिशा द्वारादारा प्रकरण क्रमांक 7 अ-5/92-93 में पारित आदेश दिनांक 19-12-97 तथा अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 148/97-98 अपील में आदेश दिनांक 12-7-99 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपील आँशिकरूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण कलेक्टर विदिशा की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अधीक्षक भू अभिलेख के नेतृत्व में दल गठित कर उभय पक्ष की भूमियों की पैमायश आधुनिक मशीन के व्दारा करायें तथा बंदोवस्त के पूर्व के नक्शानुसार तथा नवीन नक्शा अनुसार तुलनात्मक मिलान करते हुये हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य